डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग
बिहार सरकार

दुसरा तल, विकास भवन
बेली रोड, पटना - 800 015
फोन : 0612-2215211
फैक्स : 0612-2217991
ई-मेल : prsecy.ind-bih@nic.in

पत्रांक 1450 दिनांक 03/04/2017
सं0सं0–5/स0 विविध(ताड़ पेड़)–07/2016

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः– **नीरा प्रोजेक्ट के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में उद्योग विभाग के पत्र संख्या–4898 दिनांक 26–10–2016 के द्वारा सभी जिलाधिकारी, बिहार को महत्वपूर्ण दिशा–निदेश संसूचित किया गया था कि नीरा प्रोजेक्ट के तहत जीविका को 12 जिलों यथा–गया, नवादा, नालंदा, बांका, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण एवं जहानाबाद जिलों में जहॉ ताड़ के पेड़ सर्वाधिक हैं को इस अति महत्वपूर्ण नीरा योजना के कार्य के लिए जिम्मेवारी दी गयी है। शेष 26 जिलों में कृषि विभाग, के0भी0के0 एवं कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के द्वारा नीरा के संबंध में कार्य किया जाना है। जीविका के द्वारा 12 जिलों में प्रशिक्षण कार्य समाप्त कर ली गयी है तथा कृषि विभाग, के0भी0के0 एवं कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के द्वारा शेष अन्य 26 जिलों में नीरा के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

2. जीविका के द्वारा 12 जिलों के सभी प्रखंडों में उत्पादक समूहों का गठन किया जाना है जिसमें जीविका के द्वारा अभीतक 284 उत्पादक समूहों के गठन करने की सूचना दी गयी है। जीविका के उत्पादक समूहों के द्वारा नीरा टैपर से नीरा प्राप्त कर नीरा परियोजना हेतु कार्रवाई की जाएगी।

3. उत्पादक समूहों के द्वारा टैपर्स से जो नीरा का संग्रहण किया जाएगा उसका उपयोग तीन भाग में किया जाएगा। संग्रहित नीरा की बिक्री स्थानीय तौर पर की जाएगी। दूसरा भाग से स्थानीय तौर पर गुड़ का उत्पादन किया जाएगा। तीसरा भाग का उपयोग कम्फेड के प्रोसेसिंग प्लांट में नीरा बोटलिंग तथा गुड़ निर्माण किया जाएगा। तीनों भाग का उपयोग इस प्रकार होगा :–

(i) <u>नीरा संग्रह :</u>

प्रथम भाग नीरा का स्थानीय स्तर पर बिक्री होगी । बिक्री की व्यवस्था आईस बॉक्स के माध्यम से होगी। जीविका के द्वारा बर्फ के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं से बर्फ प्राप्त कर स्थानीय बॉक्स का उपयोग कर, आईस बॉक्स, मछली बॉक्स, थर्मोकोल बॉक्स जिसमें शामिल है का उपयोग करेंगे। बॉक्स पर नीरा का लेबल रहेगा। जीविका ग्रुप को भेंडिग कार्ट वाहन का क्रय करने के लिए आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। जबतक भेंडिग कार्ट पूरी तरह बनकर आपूर्त्ति नहीं होता है तबतक स्थानीय गुमटी जिनमें सामान्यतः कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, लस्सी, पान की बिक्री की जाती है, उन्हीं गुमटी के माध्यम से आईस बॉक्स में नीरा की बिक्री चौक–चौराहे एवं स्थानीय बाजार में की जाएगी।

(ii) <u>गुड़ निर्माणः</u>

नीरा के दूसरा अंश का उपयोग गुड़ बनाने के लिए किया जाएगा। इसका प्रशिक्षण जीविका के द्वारा किया जा चुका है। गैर जीविका जिलों में यह प्रशिक्षण के0भी0के0 के द्वारा दिया गया है।

(iii) नीरा का तीसरा अंश जो नीरा एवं गुड़ बनाने के बाद बचेगा उसका उपयोग रूटचार्ट के आधार पर कम्फेड के द्वारा जीविका से नीरा का संग्रहण कर प्लांट में भेजा जाएगा। जिसका नीरा बोटलिंग एवं गुड़ निर्माण किया जाएगा।

जो जिला नीरा प्लांट से अधिक दूरी पर स्थित है वहाँ सिर्फ नीरा एवं गुड़ का निर्माण एवं बिक्री की जाएगी। इस योजना में यह प्रयत्न किया जाए कि गांवों में अधिक–से–अधिक नीरा की स्थानीय स्तर पर बिक्री की जाए और गुड़ का निर्माण भी स्थानीय स्तर पर किया जाए।

(4) <u>कम्फेड के प्लान्ट :</u>

हाजीपुर एवं नालंदा में नीरा पलांट की स्थापना की जा चुकी है। गया एवं भागलपुर में प्लांट स्थापित करने का कार्य जारी है। हाजीपुर, नालंदा एवं गया में नीरा की प्रोसेसिंग एवं गुड़ का निर्माण कार्य होगा तथा भागलपुर में केवल गुड़ का निर्माण होगा।

(5) <u>नीरा टैपिंगः</u>

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा बिहार नीरा (ताड़ का खमीर, मुक्त रस) नियमावली–2017 के तहत Rules अधिसूचित किया गया है। जो Excise.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

जो टैपर्स यदि खुद नीरा की बिक्री करना चाहें तो वे कर सकते हैं तथा नीरा से गुड़ का निर्माण कर बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। इसके लिए यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो डी0पी0एम0 (जीविका), कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से सम्पर्क किया जा सकता है। गैर जीविका समूह के द्वारा भी नीरा का स्थानीय तौर पर संग्रहण किया जाएगा तथा नीरा से गुड़ का निर्माण कर बिक्री भी की जाएगी।

जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण कमिटी गठित होगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(1)	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
(2)	जिला कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य
(3)	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	–	सदस्य सचिव
(4)	उत्पाद अधीक्षक / सहायक उत्पाद अधीक्षक	–	सदस्य
(5)	जिला उद्यान पदाधिकारी	–	सदस्य
(6)	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी(जीविका)	–	सदस्य
(7)	कम्फेड के स्थानीय पदाधिकारी	–	सदस्य

जिला स्तरीय अनुश्रवण कमिटी प्रत्येक सप्ताह सोमवार को नीरा से संबंधित कार्यक्रम के विकास की समीक्षा करेगी एवं प्रचार–प्रसार करेगी।

अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है :–

(1)	श्री उमेश कुमार सिंह, उप उद्योग निदेशक,	मो0 न0–9431091341
(2)	डा0 सोहाने, निदेशक, कृषि विस्तार, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर।	मो0 न0–9199424640
(3)	श्री मनोज कुमार, जीविका	मो0 न0–7485094691

विश्वासभाजन

3/4/2017

(एस0 सिद्धार्थ)

ज्ञापांक–1450 पटना, दिनांक 03–04–2017

सं0सं0–5 / स0 विविध(ताड़ पेड़)–07 / 2016

प्रतिलिपिः–(1) मुख्य सचिव,बिहार, पटना ।

(2) विकास आयुक्त, बिहार, पटना ।

(3) सभी प्रधान सचिव / सचिव, संबंधित विभाग ।

(4) सभी प्रधान सचिव / सचिव, प्रभारी जिला।

(5) प्रबंध निदेशक, आयडा / बियाडा, बिहार, पटना।

(6) सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार, पटना।

(7) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना ।

(8) प्रबंध निदेशक, कम्फेड, बिहार, पटना ।

(9) कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(10) निदेशक, बागवानी मिशन, बिहार ।

(11) सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार ।

उप सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना ।